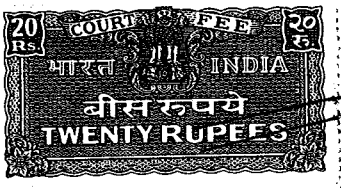

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट
रीवा म0प्र0

कमाल अहमद तनय हाजी मजहरुल हक निवासी वार्ड कमांक-8 बस्ती मनगवां, तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0 -----**निगरानीकर्ता**

बनाम्

1. परमानंद मिश्रा तनय स्व0 कृष्णाकांत मिश्रा
2. सतीष मिश्रा तनय स्व0 कृष्णाकांत मिश्रा
3. राधा गोविन्द मिश्रा तनय स्व0 कृष्णाकांत मिश्रा

तीनों निवासी ग्राम खम्हारी तहसील मनगवां, जिला रीवा म0प्र0

-----**गैर निगरानीकर्तागण**

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 27.01.2015 जो न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी तहसील मनगवां जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 61ए6ए/2013-14 मे पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

मान्यवर,

निगरानी के आधार उल्लिखित करने के पूर्व प्रकरण के कुछ प्रमुख तथ्यों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जो निम्नलिखित हैः-

1. यह कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 20/3 स्थित ग्राम खम्हारी, तहसील मनगवां जिला रीवा तीरथ प्रसाद तनय जवाहिर राम के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि थी, जिसे उन्होंने निगरानीकर्ता को पंजीकृत विकय विलेख द्वारा बिकी करके मौके से कब्जा दखल दे दिया ।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-718/III/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कमाल अहमद कार्यवाही तथा आदेश परमानन्द मिश्रा	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-1-15	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री प्रमोद मिश्रा उपस्थित। अनावेदक अधि० श्री सुरेन्द्र पाण्डेय उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के प्र० क्र० 91/अ-6/13-14 में पारित आदेश दिनांक 27-1-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किये गये, जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन पर विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार अनावेदक अधिवक्ता द्वारा भी पुनः वही तर्क प्रस्तुत किये जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, जो अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पत्रिका में अंकित है जिन्हें यहां दुहराये जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन्हें विचार में लिया जा रहा है। मेरे द्वारा उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों एवं निवेदन के अनुक्रम में निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पत्रिका दिनांक 27-1-15 में अंकित तर्कों के सारांश का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विद्यमान तथ्यों एवं अधीनस्थ	

K-718/III/15 रात्रा

स्थान तथा दिनांक	कमाल अहमद कार्यवाही तथा आदेश प्रमोद	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	न्यायालय के अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रकरण में आक्षेपित आदेश में अभी मात्र धारा 5 पर निर्णय लिया है तथा प्रकरण की प्रचलनशीलता पर निर्णय लिया गया है प्रकरण अभी अंतिम निर्णय तथा गुण दोष पर निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रचलनशील है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27-1-15 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि अनु० अधि० का विवादित आदेश विधि का उपयोग लेते हुए वैधानिक रीति से स्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश पारित किया जाकर प्रकरण को प्रचलनशील योग्य मानते हुए समय विधान की धारा 5 का आवेदन भी विधिक प्रावधानों के अनुसरण में स्वीकार किया जाकर प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया है। जो वैधानिक एवं उचित होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वहीं अनु० अधि० के उक्त आदेश से वर्तमान में किसी भी पक्ष के हित [illegible] वर्तमान में अनुचित रूप से प्रभावित हुए हों ऐसा भी परिलक्षित नहीं है क्योंकि उभयपक्ष को अधीनस्थ न्याया० के समक्ष अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त एवं समुचित अवसर उपलब्ध है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27-1-15 स्थिर रखा जाता है। तथा निगरानी में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्र०दा०रि० हो। [signature] सदस्य	

शाक्षेमुरवा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.